

दिनांक 28-04-2026

परिवादी अनुपस्थित, जिसका हाजरी माफी का प्रार्थना पत्र जरिए अधिवक्ता पेश हुआ जो आज के लिस स्वीकार किया गया। अभियुक्त मय अधिवक्ता उपस्थित।

बहस अंतिम सुनी गई। निर्णय पृथक से लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षरित खुले न्यायालय में सुनाया गया।

माफिक निर्णय अभियुक्त प्रधान पुत्र किशनलाल उर्फ लाला निवासी गोरधनपुरा तहसील व थाना सरवाड जिला अजमेर को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के अपराध के आरोप में साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त घोषित किया जाता है। अभियुक्त के न्यायालय में नियमित उपस्थिति बाबत जमानत मुचलकें निरस्त किए जाते हैं। पत्रावली में अब कोई कार्यवाही शेष नहीं है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

न्यायिक मजिस्ट्रेट
सरवाड जिला-अजमेर (राज.)

पुद्दात गुप्तर
SR
पद्मानंद
by me
रामदास
4/5/26